भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 981

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

981. श्री नारायण तातू राणे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत, विशेषकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एनएएम के और अधिक आयुष केंद्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार का एनएएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या ईएसआई और पीएफ के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को एनएएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के मूल वेतन ढांचे में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान एसएएपी में अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 8194.48 लाख रुपये की निधि जारी की गई है। हालांकि, एनएएम के तहत, निर्वाचन क्षेत्र-वार निधि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों को विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 67.48 लाख रुपये और 555.64 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। सिंधुदुर्ग जिले में 30 बिस्तरों वाला एक एकीकृत आयुष अस्पताल (आईएएच), 04 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) और 05 आयुष विंग तथा रत्नागिरी जिले में 07 आयुष विंग के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ग): एनएएम के अंतर्गत, 10/30/50 बिस्तरों वाले आईएएच की स्थापना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है और तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार, एनएएम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

(घ) और (ङ): मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से एनएएम योजना का क्रियान्वयन कर रहा है और जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, जनशक्ति की तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय एनएएम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत, एसएएपी के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, जनशक्ति की तैनाती सहित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

*****